20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

297

-1-

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश शासन ग्वालियर

निगरानी 9222-2/16 /16

आवेदक —— राजेन्द्र सिंह तेकाम पिता श्री कुन्दन सिंह
निवासी ग्राम टिकरिया तहसील व जिला जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदक —— राज बनोतिया पिता श्री सुखलाल बनोतिया
निवासी 405 लक्ष्मीबाई वार्ड हनुमान मंदिर के पास, बिल्हरी, तहसील व जिला ज़बलपुर

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा. संहिता1959

अनावेदक / आवेदक की ओर से निवेदन है कि :–

1. यह कि, माननीय न्यायालय के द्वारा अपील कं. 699–एक / 16 विरूद्व आदेश दिनांक 20.07.2015 पारित द्वारा कलेक्टर जबलपुर प्रकरण कं. 376 / अ–21 / 2013–14 द्वारा दिनांक 29.02.2016 को निराकृत किया गया था।
2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.02.2016 को प्रकरण का निराकरण करते हुये आदेश की कंडिका कं. 2 (1) (2) (3) के अंतर्गत आवेदक को भूमि कय करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी।
3. यह कि, अनावेदक / आवेदक रोजगार के लिये शहर से बाहर जाने के कारण आवेदक / अनावेदक समय पर रजिस्टर्ड बैनामा नही करा पाया जिसके कारण आवेदक कंडिका 2 (3) का अनुपालन करने में असमर्थ हो गया एवं दिये गये 04 माह की समयावधि में आवेदक / अनावेदक भूमि का पंजीयन नही करवा पाया। और आवेदक / अनावेदक जबलपुर शहर में उपस्थित है अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदक / अनावेदक को कंडिका 2 (3) में दी गई समयावधि 04 माह को क्षमा करते हुये आवेदक / अनावेदक को जो भी यथाउचित अतिरिक्त समय ओर प्रदान करने की कृपा करें।

NOTARY GOVT. OF M.P. INDIA

26 OCT 2016

विविध 9222/I/16 जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
27-10-16 जबलपुर	आवेदक की ओर से अधिवक्ता सुश्री परवीन कुमारी धरवाल उपस्थित । उन्हें, उनके द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 699-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 29-2-16 द्वारा अपीलार्थी को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । उनका कहना है कि ओदक का रोजगार के लिए शहर से बाहर जाने एवं अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में आवेदक विक्रयपत्र का निष्पादन प्रस्तावित क्रेता के पक्ष में अभी तक नहीं करा पाया है और उक्त अवधि समाप्त हो गई है । उनके द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया है । इस संबंध्का में उनके द्वारा आवेदक का शपथपत्र भी पेश किया गया है । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 अपील 699-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 29-2-16 में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 3 माह और बढ़ाया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	Adv Parbeen Kumari Dhalwal